

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./35/07/२१८३ भोपाल,दिनांक: १०/०७/०७

आदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष २००७-०८ के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों का स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किया जाता है :-

स.क.	नाम, पद एवं पदस्थापना	वर्तमान जिला	वांछित पद स्थापना का जिला
१	२	३	४
१	श्री संजीव जौहरी, सहा.शि.शा.क.मा.वि.कोलारस	शिवपुरी	ग्वालियर
२	श्री रामचन्द्र अहिरवार, सहा.शि.शा.बा.प्रा.वि.जवासिया	देवास	उज्जैन
३	श्रीमती सुमन अहिरवार, सहा.शि.शा.क.प्रा.वि.जवासिया	देवास	उज्जैन
४	श्री शिवराम सिंह ठाकुर, सहा.शि.शा.प्रा.वि.शाहपुर	नरसिंहपुर	भोपाल
५	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, सहा.शि.शा.प्रा.शा.बजरहा टोला	सतना	कटनी
६	श्री भीकमसिंह यादव, सहा.शि.शा.प्रा.वि.गुमानपुरा	दतिया	ग्वालियर
७	श्री दिलराज पटेल, सह.शि.शा.पूर्व मा.वि.मोरबा, सीधी	सीधी	रीवा
८	श्रीमती उत्तरा मर्सकोले, सहा.शि.शा.बा.शा.बरहटा	नरसिंहपुर	छिन्दवाड़ा
९	श्री निरजन सिंह, सहा.शि.शा.प्रा.वि.चकरमटा पन्ना	पन्ना	कटनी
१०	श्रीमती कमला वर्मा, प्र.अ.शा.प्रा.क.शा.हडिया	हरदा	देवास
११	श्री हरिलाल दोहरे, उ.श्री.शि.शा.मा.वि.रिजौदा	अशोकनगर	भिण्ड
१२	श्री देवीसिंह तोमर, प्र.अ.शा.मा.वि.कृष्णागज करैरा	शिवपुरी	ग्वालियर
१३	श्री राधाकृष्ण शर्मा, सहा.शि.शा.प्रा.वि.कुठाली कालापिपल	शाजापुर	इन्दौर
१४	श्री सुखलाल जैन, सहा.शि.शा.प्रा.वि.मैना	ग्वालियर	भिण्ड
१५	श्री प्रेमनारायण पंडित, सहा.शि.शा.प्रा.वि.सोबल्या उदयनगर वागली	देवास	इन्दौर
१६	श्री मोहन सिंह ठाकुर, सहा.शि.शा.मा.वि.डोडी	सीहोर	भोपाल
१७	श्री जालिम सींग गौड़, प्र.अ.शा.मा.शा. खैजरामाफी राहतगढ़	सागर	पन्ना
१८	श्री के.के.गौतम, सहा.शि.शा.उ.मा.वि.पिनौरा	उमरिया	भोपाल
१९	श्री गोकुल प्रसाद रावल, सहा.शि.शा.मा.वि.सनोली बदनावरघार		खरगोन
२०	श्री अविनाश कुमार खरे, सहा.शि.शा.पूर्व मा.शा.लाटौन पलेरा	टीकमगढ़	छतरपुर

1	2	3	4
21	श्री अशोक कुमार शर्मा, सहा.शि.शा.क.प्रा.वि.धरोला	शाजापुर	उज्जैन
22	श्री विनोद कुमार घोंचा, शि.शा.क.ने.कन्या उ.मा.वि.जावरा	रतलाम	उज्जैन
23	श्री रवीन्द्र कुमार जैन, प्र.अ.जनपद शिक्षा केन्द्र नरवर	शिवपुरी	भोपाल
24	श्री प्रमोद कुमार त्रिवेदी, सहा.शि.शा.प्रा.वि.भीमनगर हाल डाईट	भिण्ड	ग्वालियर

- 2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।
- 3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।
- 4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे ।
- 5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।
- 6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।
- 7/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 की कंडिका- 9.17 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने के निर्देश हैं । अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले में पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये ।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

यह आदेश नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जा रहा है।



"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक: 10/07/07

पृ.कमांक/स्था.3/सी-2/अं.जि.स्था./35/07/2184
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला - देवास, उज्जैन, नरसिंहपुर, भोपाल, सतना, कटनी, दतिया, ग्वालियर, सीधी, रीवा, छिन्दवाड़ा, पन्ना, हरदा, अशोकनगर, भिण्ड, शिवपुरी, शाजापुर, इन्दौर, सीहोर, सागर, उमरिया, धार, खरगोन, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर एवं रतलाम म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला- देवास, उज्जैन, नरसिंहपुर, भोपाल, सतना, कटनी, दतिया, ग्वालियर, सीधी, रीवा, छिन्दवाड़ा, पन्ना, हरदा, अशोकनगर, भिण्ड, शिवपुरी, शाजापुर, इन्दौर, सीहोर, सागर, उमरिया, धार, खरगोन, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर एवं रतलाम म.प्र.।
7. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला- देवास, उज्जैन, नरसिंहपुर, भोपाल, सतना, कटनी, दतिया, ग्वालियर, सीधी, रीवा, छिन्दवाड़ा, पन्ना, हरदा, अशोकनगर, भिण्ड, शिवपुरी, शाजापुर, इन्दौर, सीहोर, सागर, उमरिया, धार, खरगोन, जबलपुर, टीकमगढ़, छतरपुर एवं रतलाम म.प्र.। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

9. सहायक संचालक/कम्प्यूटर प्रभारी स्थानीय लोक शिक्षण की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....
..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक संचालक
 लोक शिक्षण मध्यप्रदेश